न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सीकर
पीठासीन अधिकारीः– जय प्रकाश, आर.ए.एस.

पत्रावली संख्याः– 76/2017/अपील

विकास अधिकारी, पंचायत समिति, श्रीमाधोपुर जिला सीकर जरिये प्राधिकृत अधिकारी श्री सी0 आर0 मीणा, विकास अधिकारी, पंचायत समिति श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज0)

अपीलान्ट

बनाम

1. तहसीलदार, तहसील कार्यालय श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज0)
2. सहायक अभियंता सार्वजनिक निर्माण विभाग, उपखण्ड श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज0)
3. राजस्थान सरकार जरिये जिला कलेक्टर महोदय, सीकर (राज0)

रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक 30.06.2017 न्यायालय तहसीलदार श्रीमाधोपुर मु0 नं0 139/17 उनवानी सरकार बनाम विकास अधिकारी प0स0 श्रीमाधोपुर

वकील अपीलांट श्री निरंजन शर्मा

निर्णय

दिनांकः–17.07.2018

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि एक रिपोर्ट दिनांक 23.06.2017 को सहायक अभियंता सार्वजनिक निर्माण विभाग, उपखण्ड श्रीमाधोपुर द्वारा प्रस्तुत की थी कि ग्राम श्रीमाधोपुर के राजकीय खसरा नम्बर 886 किस्म गै0 मु0 सड़क में से 114 वर्गमीटर यानि 0.0114 हैक्टैयर पर विकास अधिकारी श्रीमाधोपुर ने पुख्ता निर्माण कर अतिक्रमण किया है, उक्त रिपोर्ट को योग्य अधिनस्थ न्यायाल ने धारा 91 एल0आर0 एक्ट के तहत दर्ज रजिस्टर कर लिया गया। जिसमें बाला–बाला अपीलांट की अनुपस्थिति बताई जाकर एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाकर दिनांक 30.06.2017 को अपीलांट को उक्त भूमियों से बेदखल करने का आदेश पारित कर दिया तथा शास्ती के तौर पर 10/– रूपये आरोपित किये गये। इस सम्बन्ध में योग्य अधिनस्थ न्यायालय द्वारा भू–अभिलेख निरीक्षक श्रीमाधोपुर को उक्त आदेश दिये है। अपीलान्ट पंचायत समिति श्रीमाधोपुर, राज्य सरकार द्वारा निर्देशित स्थान तथा निर्धारित परिसीमा में लगभग 60 वर्ष पूर्व स्थापित किया गया था, तब से लेकर आज तक उक्त कार्यालय उक्त स्थान पर ही निर्धारित भूमि सीमा में स्थापित है तथा राज्य सरकार के निर्देशानुसार जनहित में सरकारी कार्य करता आ रहा है। उक्त पंचायत समिति परिसर की चार दीवारी का निर्माण सन 1959 के आस–पास करवाया गया था, जो आज भी उसी स्थान पर विधमान है। साठ वर्ष पूर्व स्थापित सरकारी भूमि पर सरकारी कार्यालय के सम्बन्ध में योग्य अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अतिक्रमण मानते हुए बेदखल करने का निर्णय पारित किया गया है, जो सर्वथा सारहीन व तथ्यों के विपरीत होने के कारण निरस्तनीय है क्योंकि अपीलान्ट कार्यालय की स्थापना के बाद से ही कार्यालय स्थान को कभी भी अतिक्रमण नहीं माना है। उक्त चारदीवारी पर राज्य सरकार के निर्देशानुसार ही वर्ष 2003–04 में दुकानों का निर्माण करवाया गया है। उक्त दुकानों व चार दीवारी का निर्माण कोई नवनिर्मित नहीं है। पंचायत समिति की उक्त दुकानों के सामने आम रास्ते पर

गया था। अपीलान्ट द्वारा किये गये अतिक्रमण के बारे में उल्लेख किया गया है, उस रास्ते का सीमांकन श्रीमाधोपुर के गिरदावर, पटवारियों की टीम द्वारा अपीलान्ट कार्यालय द्वारा गठित कमेटी के समक्ष दिनांक 06.07.2017 को करवाया गया, जिसमें यह पाया गया कि अतिक्रमी अपीलान्ट कार्यालय नहीं अपितु सार्वजनिक निर्माण विभाग अपीलांट की भूमि पर अतिक्रमी है, इसके बावजूद भी योग्य अधिनस्थ न्यायालय ने चुनौतीग्रस्त ओदश पारित किया है, जो निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जाकर योग्य अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 30.06.2017 को निरस्त फरमाया जावे।

अधिवक्ता अपीलांट की बहस सुनी गई एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित करने से पूर्व अपीलांट को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किया गया है। अपीलांट द्वारा बावजूद सूचना के उक्त नोटिस के सम्बंध में कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया। इस कारण अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए अपना निर्णय पारित किया है। मुताबिक रिकॉर्ड के अपीलांट द्वारा ग्राम श्रीमाधोपुर के राजकीय भूमि खसरा नम्बर 886 किस्म गै.मु. सड़क में से 114.00 वर्ग मीटर यानी 0.0114 है0 पर पुख्ता निर्माण कर अतिक्रमण कर रखा है। गै.मु. सड़क राजकीय भूमि है। जिस पर प्रार्थी/अपीलांट को अतिक्रमण करने का कोई हक अधिकार नहीं है। अतः राजकीय भूमि (गै.मु. सड़क) पर पुख्ता निर्माण कर किये गये अतिक्रमण के सम्बंध में अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार श्रीमाधोपुर के द्वारा बेदखली आदेश दिनांक 30.06.2017 अतिविशिष्ट कानूनी प्रावधान की पूर्ति के लिए यथेष्ट एवं पर्याप्त है जिसमें दखलंदाजी की आवश्यकता न्यायोचित प्रतीत नहीं होती है। अतः अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 17.07.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

17/7/18

(जय प्रकाश)
अति0 जिला कलक्टर, सीकर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official